140

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,
प्रधान पीठ, फरीदकोट हाउस,
कापर निकस मार्ग, नई दिल्ली–110001।

पत्र सं0:– 1372/ख0अनु0–गाजि0/2023–24 दिनांकः 20/09/ 2023

विषयः– ओरिजनल एपलीकेशन संख्या–410/2023, विपिन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य एवं ओरिजनल एपलीकेशन संख्या–411/2023, बिजेन्द्र धामा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बधं में।

महोदय,

उपरिलिखित विषयक ओरिजनल एपलीकेशन पर माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने आदेश दिनांक 03.07.2023 पारित कर जनपद गाजियाबाद की तहसील लोनी के ग्राम नौरसपुर के खण्ड संख्या–1 में स्थित 1.81 हेक्टेयर क्षेत्र पर आवेदक द्वारा अवैध खनन होने की शिकायत पर तथ्यात्मक स्थिति एवं कृत कार्यवाही की आख्या माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है।

2– उक्त निर्देश दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में अधिकारियों की जांच टीम से विषयगत क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त प्राप्त आख्या दिनांक 13.09.2023 की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत तथ्यात्मक जांच आख्या माननीय पीठ के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

6728/23 JUD
20/09/23

भवदीय,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

NATIONAL GREEN TRIBUNAL
Principal Bench, New Delhi
Receipt & Issue Branch
Received
29 SEP 2023
Dairy No. 4607
Signature.........

Ld.D.R.
29/9/2023
Com(2)

OA 410/2023 / 410/23

Mr Bhengra
Mr Manoj
Pl put up
30/9

141

संयुक्त निरीक्षण आख्या

Original Application No.- 410 वर्ष 2023, विपिन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध Original Application No.- 411 वर्ष 2023, बिजेन्द्र धामा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ नई दिल्ली ने अपने आदेश दिनांक 03.07.2023 के द्वारा यह अवधारित किया कि ग्राम सुभानपुर तहसील खेकड़ा, जनपद–बागपत में स्थित 1.3900 हे0 क्षेत्र में अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा में बालू का खनन कर अवैध खनन का आरोप आवेदक श्री विपिन द्वारा अभिकथित किया गया है। इसी प्रकार जनपद गाजियाबाद की तहसील लोनी के ग्राम नौरसपुर में स्थित 1.81 हे0 क्षेत्र में अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा में भारी मशीनो के माध्यम से खनन कर पर्यावरणीय अनापत्ति दिनांक 13.01.2023 की शर्तों का उल्लंघन का आरोप आवेदक बिजेन्द्र धामा द्वारा अभिकथित किया गया है।

2— माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने क्षेत्रों की तथ्यात्मक स्थिति की जांच हेतु निम्नलिखित समिति गठित की है :–

1. राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के सदस्य।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।

3— माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी गाजियाबाद ने अपने आदेश संख्या–958 / एनजीटी–179 / 2023 दिनांक 09.09.2023 के द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिये :–

1. **उप जिलाधिकारी, लोनी।**
2. **ज्येष्ठ खान अधिकारी, गाजियाबाद।**
3. **सहायक पर्यावरण अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।**

4— उक्त अधिकारियों ने जनपद गाजियाबाद के तहसील लोनी के ग्राम नौरसपुर के गाटा संख्या–1 में 1.81 हे0 क्षेत्र में दिनांक 25.04.2023 से 24.10.2023 अर्थात 06 माह की अवधि हेतु बालू खनन के लिये मै0 वैभवराज इन्टरप्राईजेज प्रो0 श्री जितेन्द्र धवन पुत्र स्व0 भगवान दास धवन निवासी–6 / 146, फर्श बाजार, शाहदरा, दिल्ली के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा–पत्र के क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 13.09.2023 को किया।

ज्येष्ठ खान अधिकारी
गाजियाबाद।

उपजिलाधिकारी
लोनी

142

5— क्षेत्र की पहचान हेतु जियो कोआर्डिनेट निम्नलिखित है :–

पिलर	अक्षांश	देशांतर
A	28^0 49' 35.00"	77^0 13' 29.82"
B	28^0 49' 29.02"	77^0 13' 29.47"
C	28^0 49' 21.50"	77^0 13' 22.48"
D	28^0 49' 21.82"	77^0 13' 21.81"
E	28^0 49' 30.22"	77^0 13' 27.75"
F	28^0 49' 34.84"	77^0 13' 27.76"

6— स्थल निरीक्षण के समय खनन पट्टा के स्वीकृत क्षेत्र का आंशिक भाग जलमग्न पाया गया तथा खनन अनुज्ञा–पत्र के क्षेत्र में 'वर्षा ऋतु' में, खनन कार्य प्रतिबंधित होने के कारण, कहीं भी खनन संक्रियाएं संचालित होती नहीं पायी गयी। अनुमन्य मात्रा 22622 घन मीटर में से दिनांक 30.06.2023 तक 16738 घन मीटर की मात्रा अनुज्ञा–पत्र धारक द्वारा लब्ध की गई है तथा 5884 घन मीटर लब्ध किया जाना अवशेष है, जिसके लिये अनुज्ञप्तिधारी दिनांक 24.10.2023 तक उक्त मात्रा को उठाने हेतु नियमानुसार अधिकृत है।

दिनांक 13.09.2023 को क्षेत्र के लिये गये फोटोग्राफ अवलोकनार्थ प्रेषित है।

13/09/2023
सहायक पर्यावरण अभियंता
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गाजियाबाद

13/9/23
ज्येष्ठ खान अधिकारी,
गाजियाबाद
ज्येष्ठ खान अधिकारी
गाजियाबाद।

13/09/2023
उपजिलाधिकारी,
लोनी
उपजिलाधिकारी
लोनी

ग्राम नौरसपुर तहसील लोनी जनपद गाजियाबाद
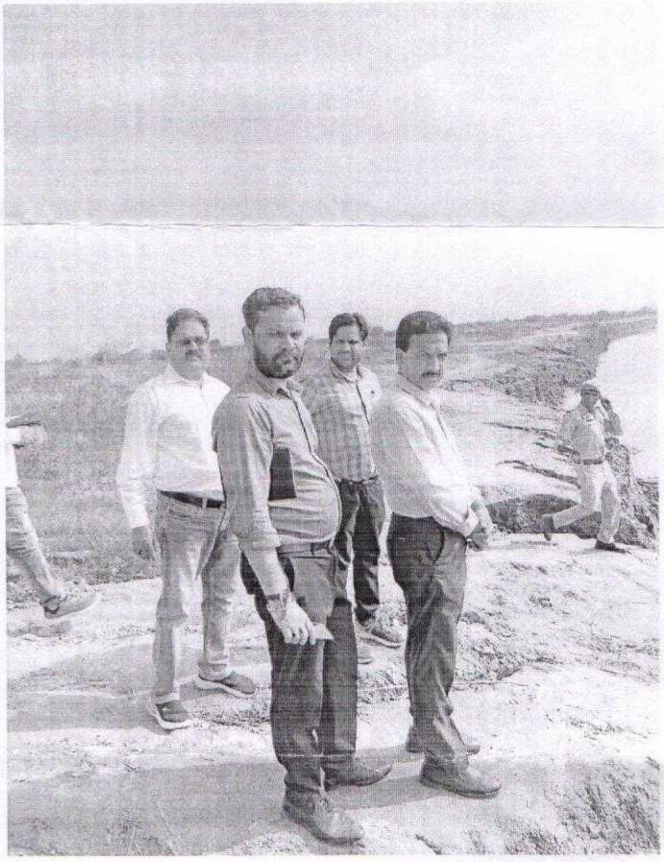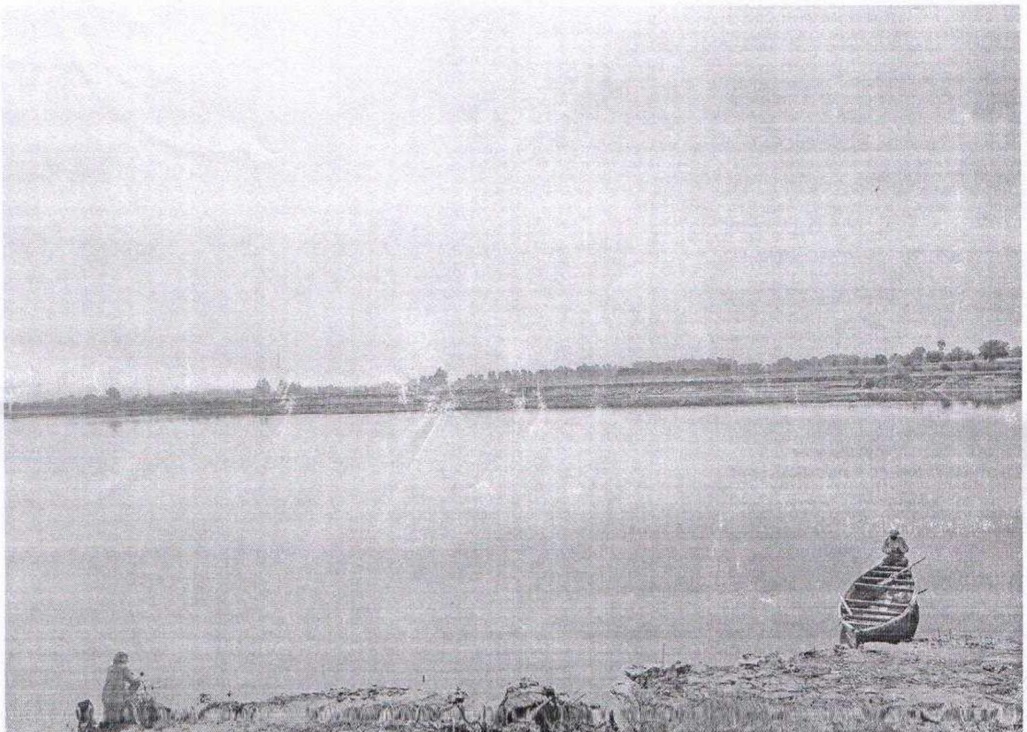
गाटा सं0 1 रकबा 1.81 है0 के स्थलीय निरीक्षण के फोटो ग्राफ्स